

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या 1369 / 2012 / राजसमन्द
2. अपील संख्या 1370 / 2012 / राजसमन्द

मैसर्स मिराज प्रोडक्ट्स प्रा०लि०, रिच्छबा
नाथद्वारा, राजसमन्द।

.....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाडा।

.....प्रत्यर्थी

3. अपील संख्या 1958 / 2012 / राजसमन्द
4. अपील संख्या 1959 / 2012 / राजसमन्द

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाडा।

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स मिराज प्रोडक्ट्स प्रा०लि०, रिच्छबा
नाथद्वारा, राजसमन्द।

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित :

श्री एम.एल.पाटौदी एवं सुश्री ईशु जैन,
अभिभाषकगण।

.....व्यवसायी की ओर से

श्री आर.के.अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक।

.....राजस्व की ओर से.

निर्णय दिनांक : 30.09.2016

निर्णय


1. अपील संख्या 1369 / 2012 व 1370 / 2012 अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा एवं अपील संख्या 1958 / 2012 व 1959 / 2012 विभाग द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, भीलवाडा (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 12.06.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स टैक्स, भीलवाडा (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 34 सपठित धारा 25, 55, 65, व 61(2)(बी) के अन्तर्गत पारित आदेशों के जरिये आगत कर एवं ब्याज मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा अस्वीकार किये जाने पर अधिनियम की धारा 83 के तहत विवादित किया है, इसके साथ ही विभाग द्वारा भी अधिनियम की धारा 61(2)(बी) के तहत आरोपित शास्ति को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने के विरुद्ध अपीलें प्रस्तुत की गई हैं, अपीलों का विवरण निम्न तालिकानुसार है :-

अपील सं.	अपी.अधि. की अपी. सं.	कर निर्धारण आदेश दिनांक	कर निर्धा.वर्ष	विवादित कर आई.टी.सी.	ब्याज अन्तर्गत धारा 55	शास्ति अन्तर्गत धारा 61(2)(बी)
1369 / 12	14 / वेट / 11-12	14.02.2012	10-11	58,08,202	3,56,105	-
1370 / 12	13 / वेट / 11-12	14.02.2012	11-12	53,58,597	2,60,459	-
1958 / 12	13 / वेट / 11-12	14.02.2012	11-12	-	-	1,01,56,276
1959 / 12	14 / वेट / 11-12	14.02.2012	10-11	-	-	1,09,44,194

लगातार.....2.

2. समस्त प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जा रहा है, निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।
3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 13.10.2011 को उपायुक्त (प्रशासन) भीलवाडा द्वारा जारी सर्वेक्षण अनुमति की पालना में सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-प्रथम, वृत्त प्रतिकरापवंचन, भीलवाडा द्वारा मय विभागीय दल व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण किया गया। व्यवसाय स्थल पर फर्म के मैनेजिंग डायरेक्टर उपस्थित मिले। उन्होंने व्यक्त किया कि उनकी इस फर्म के तहत मुख्यतः चूना मिश्रित तम्बाकू का विनिर्माण किया जाता है। फर्म की लेखा पुस्तके कम्प्यूटर पर संधारित की जाती है। उन्होंने फर्म के लेखे कम्प्यूटर पर प्रदर्शित किये। प्रस्तुत लेखा पुस्तकों के अनुसार व्यवहारी फर्म द्वारा मैसर्स कृष्णा एन्टरप्राइजेज नाथद्वारा टिन नं. 08461258535 से वर्ष 2010-11 के दौरान दिनांक 09.03.2011 से 31.03.2011 तक एवं वर्ष 2011-12 के दौरान दिनांक 01.04.2011 से 30.04.2011 तक की अवधि में रू0 13630194/- व 12695292/- की तम्बाकू खरीद की गई थी। व्यवहारी द्वारा इस खरीद पर रू0 54,52,097/- व 50,78,138/- वैट चुकाया गया। फर्म द्वारा इस खरीद पर चुकाये गये वैट का आगत कर के रूप में समायोजन लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा तम्बाकू एवं इसके उत्पाद की बिक्री पर दिनांक 09.03.2011 से 40 प्रतिशत वैट आरोपित करते हुए तम्बाकू एवं उसके उत्पाद की बिक्री पर प्रथम बिन्दु पर करारोपण का प्रावधान किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 18(3)(ia) के अनुसार प्रथम बिन्दु पर करारोपणीय माल की खरीद पर चुकाये गये वैट का इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में लिया गया समायोजन स्वीकार करने योग्य नहीं माना।
4. इस प्रकार व्यवहारी द्वारा आगत कर का गलत समायोजन प्राप्त किया जाना मानते हुए अधिनियम की धारा 61(2) के अनुसार शास्ति को आकर्षित करना पाया। व्यवहारी द्वारा अविधिक रूप से आगत कर समायोजन किया जाकर करवंचना का प्रकरण दर्ज किया गया।
5. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-प्रथम, वृत्त प्रतिकरापवंचन, भीलवाडा द्वारा इन वादों को अन्य अधिकारी को स्थानान्तरण करने हेतु उपायुक्त (प्रशासन), भीलवाडा को अनुरोध किया गया। उपायुक्त (प्रशासन) द्वारा पत्र क्रमांक प0 उपा(प्रशा)/भील/पीए/11 /1052 दिनांक 18.10.2011 के द्वारा वाद सशक्त अधिकारी को स्थानान्तरित करने के आदेश किये गये। जिसकी पालना में सशक्त अधिकारी द्वारा धारा 75(1) के अन्तर्गत दिनांक 09.11.2011 को कार्यालय में उपस्थित होने हेतु व्यवहारी को विस्तृत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में व्यवहारी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि के अनुरोध पर पत्रावली दिनांक 08.11.2011 को ही पेशी पर ली गई उन्होंने नोटिस का लिखित प्रत्युत्तर तथा तम्बाकू खरीद के बिलों की छायाप्रतियां पेश की। समुचित जांच उपरान्त व्यवहारी को सशक्त अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 25, 18(2)(ia), 61(2)(बी), 55 के अन्तर्गत विशिष्ट कारण बताओ नोटिस जिसमें 54,52,097/- व 50,78,138/- रू0 के आगत कर के गलत समायोजन को कर के रूप में मय ब्याज वसूल करने तथा नियमानुसार दुगुनी शास्ति आरोपित करने का विशिष्ट उल्लेख करते हुए दि. 21.11.2011 के लिये नोटिस जारी किये गये। जिसकी पालना में व्यवहारी की ओर से नियत दिनांक को कोई उपस्थित नहीं हुआ एवं न ही कोई स्थगन प्रार्थना पत्र ही पेश किया गया। सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 22.11.2011 को कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए रू0 1,67,17,021/- व 1,55,45,867/- की मांगें सृजित की गई।



 लगातार.....3.

6. व्यवहारी द्वारा उक्त पारित एकतरफा आदेश के संदर्भ में अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत उपायुक्त (प्रशासन), भीलवाडा को आवेदन प्रस्तुत किया। पेशी दिनांक 21.11.2011 को उपस्थित नहीं हो सकने के युक्तियुक्त कारण पाये जाने पर उपायुक्त (प्रशासन) ने धारा 34 में व्यवहारी को समस्त रेकार्ड लेकर दिनांक 19.01.2012 को सशक्त अधिकारी के समक्ष पुनः कर निर्धारण हेतु उपस्थित होने के निर्देश दिये। दि. 19.01.2012 को व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा लिखित प्रत्युत्तर पेश करते हुए प्रारम्भिक आपत्ति दर्ज कराई गई जिसके अनुसार "Prosecutor cannot be a judge" के नैसर्गिक सिद्धान्त को मुख्यतः स्थापित करते हुए सशक्त अधिकारी के निर्णय एवं अधिकार पर आपत्ति व्यक्त की गई। यह संशय व्यवहारी द्वारा न तो दिनांक 08.11.2011 को प्रस्तुत अपने प्रत्युत्तर एवं न ही धारा 34 के आवेदन में व्यक्त किया गया। यह आक्षेप व्यवहारी द्वारा "After Thought" के रूप में अपने प्रत्युत्तर में व्यक्त किया, तथापि सशक्त अधिकारी द्वारा उपायुक्त (प्रशासन) को सूचित किया गया। उपायुक्त (प्रशासन) द्वारा आयुक्त महोदय, वाणिज्यिक कर, जयपुर के आदेश दिनांक 07.08.2009 एवं दिनांक 31.03.2011 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर निर्णय लेते हुए आदेश दिनांक 02.02.2012 जारी किया गया, जिसमें वाद निष्पादन अधिकारी के रूप में श्री अमिताभ भार्गव, वाणिज्यिक कर अधिकारी वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाडा को नियुक्त किया गया (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जाएगा)।

7. निर्धारण अधिकारी द्वारा आयुक्त महोदय के आदेश की अनुपालना में अधिनियम की धारा 34 के तहत नोटिस जारी करते हुए प्रकरणों में सुनवाई की गयी एवं अविधिक समायोजित आगत कर को बहाल करते हुए ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया गया, जिसके विरुद्ध अपीलें प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने धारा 61(2)(बी) के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया तथा कर व ब्याज की पुष्टि की, जिसके विरुद्ध व्यवहारी व विभाग द्वारा यह अपीलें कर बोर्ड में प्रस्तुत की गयी है।

8. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

9. व्यवहारी की ओर से विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने आईटीसी के समायोजन को नियम विरुद्ध बतलाया है जो अनुचित है। अपीलीय अधिकारी द्वारा बिना किसी आधार के कर योग्य माल निर्धारित करते हुए अधिनियम की धारा 18(3)(iia) के तहत आईटीसी का समायोजन देय नहीं मानते हुए उसे यथावत रखा है एवं उस पर ब्याज आरोपण की पुष्टि की है। अतः इन दोनों बिन्दुओं पर कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अविधिक बतलाया। अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये :-

1. CTO (A-E), Sriganganagar Vs Ms Durgeshwari Foods Ltd. 32 Tax Update page 3
2. Commissioner of Income Tax Vs Reliance Petroproducts Pvt. Ltd. 322 ITR pg 158
3. ACTO, Jodhpur Vs Nirali Dhani 35 Tax Update pg 269
4. Uniflex Cables Ltd. Vs Commissioner Central Excise, Surat 40 PHT pg 28
5. Sree Krishna Electricals Vs State of Tamil Nadu and another 23 VST pg 249
6. Dasu Ram Nautan Dass Vs State of Punjab and another 32 PHT pg 491
7. Lord Venketeshwar Caterers Vs CTO Anti-evasion 8 VAT Rep. pg 264

10. विभागीय प्रतिनिधि ने आगत कर एवं ब्याज के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी का समर्थन करते हुए शास्ति के बिन्दु पर विभाग की अपीलें स्वीकार करने का निवेदन किया साथ ही उन्होंने बतलाया कि व्यवहारी द्वारा लेखा पुस्तकों में संव्यवहारों का इन्द्राज होने पर शास्ति आरोपणीय नहीं होना बताया परन्तु यह सिद्धान्त आईटीसी समायोजन पर लागू नहीं होता है क्योंकि व्यवहारी द्वारा खरीद को लेखा पुस्तकों में इन्द्राज किये जाने के पश्चात ही आईटीसी की गणना संभव है। यह दोनों प्रकरण अविधिक रूप से आईटीसी का समायोजन लिये जाने के हैं। अतः उन्होंने निर्धारण अधिकारी के दोनों आदेश दिनांक 14.02.2012 को उचित बतलाते हुए उनको बहाल करने का निवेदन किया।

11. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। इन प्रकरणों में मुख्य विवाद यह है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ. 12(25)एफडी/टैक्स/11-133 दिनांक 09.03.2011 के अनुसार पुनः विक्रय हेतु खरीदे गये जर्दा पर चुकाये गये वैट का आईटीसी अमान्य किया गया है, इन प्रकरणों में प्रथम बिन्दु कर योग्य माल होने के कारण अधिनियम की धारा 18(3)(ii A) के तहत आईटीसी का समायोजन देय नहीं है। धारा 18(3) का प्रारंभिक वाक्यांश (Not with standing any thing contain this Act) अपने आप में अधिनियम की मंशा स्पष्ट करता है एवं समस्त संशयों को समाप्त करता है। अधिनियम की अन्य धारा की उपधाराओं से 18(3) अविचलित रहती है। दोनों प्रकरणों में यह स्पष्ट है कि प्रथम बिन्दु पर क्रय देय तंबाकु/जर्दा की खरीद पर चुकाया गया आगत कर किसी भी व्यवहारी द्वारा आईटीसी के रूप में क्लेम किया जाना अविधिक एवं अनुचित प्रतीत होता है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2011-12 में आईटीसी क्लेम अवधि 01.04.11 से 30.04.11 एवं वर्ष 2010-11 में आईटीसी क्लेम अवधि 09.03.11 से 31.03.11 राशि क्रमशः रूपये 50,78,138/- एवं 54,52,097/- को अस्वीकार किया गया है, जो उचित प्रतीत होता है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा भी इस बिन्दु पर कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की पुष्टि करते हुये अधिनियम की धारा 55 के तहत आरोपित ब्याज राशि रूपये 3,56,105/- एवं 2,60,459/- की पुष्टि की गयी है। अतः आगत कर एवं ब्याज के बिन्दुओं पर कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से उन्हें यथावत रखा जाता है। अतः व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती है।


12. शास्ति के बिन्दु पर माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय (2009) 23 वीएसटी 249 श्री कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू, टैक्स अपडेट वोल्यूम 43 पार्ट 4 पेज 158 का संक्षिप्त उल्लेख निम्नानुसार है:-


"So far as the question of penalty is concerned the items which were not included in the turnover were found incorporated in the appellant's account books, where certain items which are not included in the turnover are disclosed in the dealer's own account books and the assessing authorities includes these items in the dealers' turnovers disallowing the exemption penalty cannot be imposed. The penalty levied stands set aside."

माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत के अनुरूप व्यवहारी के बिना कर चोरी की मंशा प्रमाणित होने के आधार पर, आरोपित शास्ति को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अतः शास्ति के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के निर्णयों की पुष्टि की जाती है एवं राजस्व द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें इस सीमा तक अस्वीकार की जाती हैं।

13. परिणामस्वरूप व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें (1369/12 एवं 1370/12) एवं राजस्व द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें (1958/12 एवं 1959/12) अस्वीकार की जाती है। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित दोनों आदेश दिनांक 12.06.2012 यथावत रखे जाते हैं।

14. निर्णय सुनाया गया।


30.9.2016
(मदन लाल)
सदस्य


(सुनील शर्मा)
सदस्य